सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।**

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

**अपील प्रकरण सं0 68/2016**

1. श्रीमती अम्बादेवी पत्नि अमरलाल, जाति मेधवाल निवासी कालियां, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. शुभम कुमार पुत्र श्री अमरलाल जाति मेधवाल, निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. गोविन्द कुमार पुत्र श्री अमरलाल जाति मेधवाल, निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

**बनाम**

1. श्री बालाजी गौशाला समिति कालियां जरिये प्रबन्धक मेहरचन्द पुत्र मोवतरराम जाति अरोडा, निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसील श्रीगंगानगर

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :

1.श्री प्रदीप सिहाग, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.श्री ओमप्रकाश बतरा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

**आदेश** **दिनांक :–10.01.2018**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाधीन आदेश रिकार्ड पर आई साक्ष्य एवं कानून के विपरीत पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है, तथाकथित रिपोर्ट एकतरफा तौर पर अपीलार्थीगण की उपस्थिति के बिना प्रत्यर्थी संख्या 1 मिलीभगत कर बनायी गयी है। अपीलार्थीगण के पिता द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में कोई ईकरारनामा निष्पादित नहीं करवाया गया है, क्योंकि अपीलार्थीगण के पिता को इसकी कभी कोई आवश्यकता नहीं रही। ईकरारनामा फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ईकरारनामा की सत्यता की कोई जांच नहीं की गई। ईकरारनामा अपंजीकृत दस्तावेज है। सम्पति अन्तरण अधिनियम के तहत अपंजीकृत दस्तावेज के द्वारा कोई भी अधिकार हस्तान्तरित नहीं होते है, इसलिए भी अपीलाधीन आदेश निरस्ती योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ईकरारनामा की फोटो प्रति के आधार पर निर्णय पारित किया गया है, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार दस्तावेज की फोटोस्टेट कापी साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। प्रथमतः तो अपीलार्थीगण के पिता द्वारा कोई ईकरारनामा प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में नहीं किया गया, दूसरा ईकरारनामा की संदेहस्ता इसी तथ्य से प्रकट होती है कि ईकरारनामा के आधार पर रजिस्ट्री करवाने की तारीख 26.06.2005 निर्धारित थी, लेकिन 11 साल तक इस ईकरारनामा के सम्बन्ध में कोई कार्यवाहीं क्यों नही की। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की, जबकि अपीलार्थीगण उक्त विवादित आराजी के खातेदार है। प्रत्यर्थी सख्या 1 का कब्जा बतौर अतिक्रमी है। अपीलार्थीगण विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार है, जो कि अनुसूचित जाति

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

के है, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी समाज के कमजोर वर्गो को संरक्षण प्रदान करती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार न कर अपीलार्थीगण के हितों का हनन किया है और अतिक्रमी को अवैद्य सरक्षण प्रदान किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश 24.08.2016 निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें एवं उपरोक्त भूमि से प्रत्यर्थी संख्या 1 को बेदखल कर अपीलार्थीगण को भुमि का कब्जा दिलाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट बहस सुनी गई। अधिवक्त अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आश्य का पेश किया कि अपीलार्थीगण के नाम से वाके चक 3 डी बडी के मुरब्बा नम्बर 49 के कुल तादादी 1.960 हैक्टर संयुक्त खाता की भूमि में से 0.426 हैक्टर रकबा राजस्व रिकार्ड है, जिसके अपीलार्थीगण खातेदार है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थीगण के उपरोक्त रकबा में से किला नम्बर 16 का 0.164 हैक्टर पर जबरदस्ती कब्जा कर अवैध रूप से गौशाला का निर्माण कर रखा है, जबकि किसी भी प्रकार से अपीलार्थीगण के पिता द्वारा कभी भी उपरोक्त वर्णित भूमि का हस्तान्तरण नहीं किया है तथा ना ही अपीलार्थीगण के पिता को इसकी जरूरत पडी। इस कारण से प्रत्यर्थी संख्या 1 का कब्जा अपीलार्थीगण की भूमि पर बतौर अतिक्रमी है। इसलिए उक्त अराजी से प्रत्यर्थी संख्या 1 को बेदखल कर अपीलार्थीगण को कब्जा दिलाया जावें। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.08.2016 में अपीलार्थीगण को बिना सुने अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। प्रत्यर्थी सख्या 1 का कब्जा बतौर अतिक्रमी है। अपीलार्थीगण विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार है, जो कि अनुसूचित जाति के है, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी समाज के कमजोर वर्गो को संरक्षण प्रदान करती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार न कर अपीलार्थीगण के हितों का हनन किया है और अतिक्रमी को अवैध सरक्षण प्रदान किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश 24.08.2016 निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें एवं उपरोक्त भूमि से प्रत्यर्थी संख्या 1 को बेदखल कर अपीलार्थीगण को भुमि का कब्जा दिलाया जावें।

जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने निम्न नजीरे पेश की हैः–

1. आर.आर.टी. पार्ट–(2) 2012 पेज–1277
2. डी.एन.जे. 2010 (2) पेज–663 स्टेट बनाम यूकेए व अन्य

**उपर्युक्त नजीरों में से प्रकरण में समान प्रकृति के तथ्यों के कारण निम्नलिखित नजीर चस्पा होती हैः–**

Nanchi [Smt.]& Ors Vs. Lacchu Ram
Revision TA 11047/Jhunjhunu of 2007

"अनु.जाति के सदस्य की भूमि –भूमि का हस्तान्तरण अकृत व शून्य है और प्रार्थीगण अतिकर्मी है– अनु.जाति के व्यक्ति की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार श्रीगंगानगर ने प्रकरण संख्या 04/2015 अनवानी

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अम्बादेवी बनाम श्री बालाजी समिति, द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.08.2016 से अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र 183–बी खारिज कर धारा 175 राज0 काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही किये जाने के जो आदेश पारित किये गये है वो सही पारित किये गये। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावें।

जिसके सम्बन्ध में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने निम्न नजीरे पेश की हैः–

1. आर.आर.टी. 2003(1) पेज– 207
2. आर.आर.टी. 20104 पेज–404
3. आर.आर.टी. 2006–07 पेज–92
4. आर.एल.डब्ल्यू. 2001(2) पेज– 1065

**उपर्युक्त नजीरों में से प्रकरण में समान प्रकृति के तथ्यों के कारण निम्नलिखित नजीरें चस्पा होती हैः–**

3. आर.आर.टी. 2006–07 पेज– 92

Ramnathi Bai & Ors. VS State of Rajasthan & Ors. S.B. Civil Writ Petition N0. 182/1996 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955–धारा 42(2), 175 व 183–अतिक्रमियों की बेदखली–कानून के विपरित भूमि का विक्रय–प्रार्थीगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य है और उन्होंने भूमि रेस्पोडेन्ट्स को विक्रय की–विक्रय प्रारम्भ से ही शून्य है और 175 के अन्तर्गत भूमि वापस भूमिधारी में चली जायेगी–175 के अन्तर्गत आवेदन के विचाराधीन होते हुए धारा 183 के अन्तर्गत डिक्री पारित नहीं की जा सकती –मूल भूमिधारी स्वंय बेदखल होने योग्य है–निर्णीत, निचले न्यायालयों के निर्णय में गलती नहीं है व सपुष्टि की''**

4. आर.एल.डब्ल्यू 2001(2) पेज–1065 –

Gaushala Sri Karanpur . VS State of Rajasthan & Ors. S.B. Civil Writ Petition N0. 188/1995- हस्तांतरण गोशाला को– यह हस्तांतरण विधिक /रजिस्टर्ड नहीं है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया तो पाया कि वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत कमांक 1 पर अंकित नजीर प्रकरण में साफ होता है, क्योंकि मामला पूर्व में धारा 183(बी) के तहत न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा सुना जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थीगण अनु. जाति के है, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एक संस्था है जिसको एक इकरारनामा से विवादित आराजी हस्तांतरण कथित किया गया है। इसलिए धारा 42 (ख) के तहत यह हस्तांतरण विधि–विरूद्व है। इसके समर्थन में वकील रेस्पोडेन्ट ने नजीर कमांक–4 पेश कर कानूनी रूप से हस्तांतरण सही होना बताया क्योंकि गौशाला एक विधिक व्यक्ति है। चूंकि हस्तांतरण **रजिस्टर्ड नहीं** होकर विधि–सम्मत नहीं है, इसलिए इस हस्तांतरण को इस न्यायालय से मान्यता नहीं दी जा सकती। रेस्पोडेन्ट चाहें तो इसके लिए सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर सकते है। रेस्पोडेन्ट वकील की ओर से प्रस्तुत नजीर कमांक–3 प्रकरण में हूबहू चस्पा होती है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश के अवलोकन पश्चात पाया कि पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि विवादित

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आराजी गैर कानूनी रूप से हस्तांतरित हुई है इसलिए विधिक प्रावधानों के आलोक में भूमि राजसात की जा सकती है। यह न्यायालय अपीलाधीन न्यायालय के आदेश से पूर्ण सहमति प्रकट करता है। उक्त नजीर क्रमांक 3 के आलोक में पाया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के मुकदमा संख्या 199/16 सरकार बनाम विष्णु कुमार वगैरा अन्तर्गत धारा 175 आरटी एक्ट अभी विचाराधीन है। इसकी पुष्टि तहसीलदार श्रीगंगानगर (रेस्पोडेन्ट संख्या –2) द्वारा प्रस्तुत अभिलेख से होती है। उक्त नजीर के आलोक में हस्तगत प्रकरण में " **प्रार्थीगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य है और उन्होंने भूमि रेस्पोडेन्ट्स को विकय की–विकय प्रारम्भ से ही शून्य है और 175 के अन्तर्गत भूमि वापस भूमिधारी में चली जायेगी–175 के अन्तर्गत आवेदन के विचाराधीन होते हुए धारा 183 के अन्तर्गत डिकी पारित नहीं की जा सकती –मूल भूमिधारी स्वंय बेदखल होने योग्य** " होने के कारण मूल भूमिधारी स्वंय बेदखल होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। लिहाजा अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लोटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 10.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/01/18

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

# कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

क्रमांक :– सीजी / का0 रिकार्ड / 17 / 296 दिनांक : 5/3/18

प्रेषिति :– ~~रीडर~~
अति० जिलाधीश (प्रशा)
कलक्टर, श्रीगंगानगर।

विषय :– प्रतिलिपि देने हेतु पत्रावली / रिकार्ड भिजवाने हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि जारी करने हेतु निम्नांकित रिकॉर्ड / पत्रावली की आवश्यकता है। अतः चाहा जा रहा रिकॉर्ड / पत्रावली भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि प्रतिलिपि समय पर जारी की जा सके। इसे अति आवश्यक समझा जावे।

| क्र.सं. | नाम सोंगा | प्रकरण संख्या | अनवान | तारीख पेशी | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | अपील | 68/16 | अम्बादेवी बनाम बालाजी गौशाला | | 10/1/18 |

शाखा प्रभारी
कार्यालय रिकॉर्ड शाखा
कार्यालय हाजा